

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
19- द माल, मुरार, ग्वालियर
(म.प्र.) 474006



Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics (CBN)
19-The Mall, Morar, Gwalior
(M.P.) 474006

☎(PBX) : (91) 751-2368996/ 2369439

e-mail: narcommr@cbn.nic.in

F.No. XVI/4A/86/2024-NC-Gwalior

Dated 17th October, 2026

Public Notice No. 10 / 2026

Special Provision under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Rules, 1985 for International Travelers Carrying Narcotic Drugs and Psychotropic Substances for Personal Medical Use.

The **Central Bureau of Narcotics (CBN)** frequently receives inquiries and applications from international travelers seeking prior permission to carry medicines containing Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) for their personal medical use while visiting India.

In this regard, the foreign travelers are required to comply with the provisions given in the NDPS Act and Rules while visiting India with such drugs and substances. The relevant part of **Rule 67A of the NDPS Rules 1985** relating to Foreign Traveler is reproduced as Under:

“(a) a narcotic drug and Psychotropic substance may be used for –

(ii) very limited medical requirements of a foreigner by a duly authorised person of a hospital or any other establishment of the Government especially approved by that Government.”

“(c) a narcotic drug and psychotropic substance may be supplied or dispensed for use to a foreigner pursuant to medical prescription only from the authorised licensed pharmacists or other authorised retail distributors designated by authorities responsible for public health.”

Key Protocols to be complied with by foreign travellers:

1. Foreign nationals are permitted to carry limited quantities of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances solely for their personal medical use during their stay in India, subject to applicable laws and rules.
2. Foreign nationals carrying such medicines should carry only the quantity required for the prescribed course of treatment, consistent with the dosage and duration specified by the treating registered medical practitioner.
3. Possession of such medicines must be supported by a valid medical prescription clearly specifying the name of the medicine, dosage and duration of treatment, along with other relevant medical documents.

Accordingly, foreign travellers are advised to keep their medical prescription, and relevant medical documents readily available for verification by Indian Customs Authorities.

BY ORDER OF THE NARCOTICS COMMISSIONER



F.No. XVI/4A/86/2024-NC-Gwalior

Dated 17th October, 2026

सार्वजनिक सूचना संख्या 10 / 2026

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) नियम, 1985 के तहत, व्यक्तिगत चिकित्सीय उपयोग के लिए नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों को साथ ले जाने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष प्रावधान।

केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) को अक्सर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से पूछताछ और आवेदन प्राप्त होते हैं, जो भारत आने के दौरान अपने व्यक्तिगत चिकित्सा उपयोग के लिए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) युक्त दवाएं ले जाने की पूर्व अनुमति मांगते हैं।

इस संबंध में, विदेशी यात्रियों को भारत आते समय ऐसी दवाओं और पदार्थों को साथ लाने पर NDPS अधिनियम और नियमों में दिए गए प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। NDPS नियम, 1985 के **नियम 67A** का विदेशी यात्रियों से संबंधित हिस्सा नीचे दिया गया “(क) एक मादक दवा और मनोविकृति नाशक पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है -

(अ) किसी विदेशी की बहुत सीमित चिकित्सा आवश्यकताओं को, किसी अस्पताल या सरकार के किसी अन्य प्रतिष्ठान के विधिवत अधिकृत व्यक्ति द्वारा पूरा किया जाना-बशर्त उस प्रतिष्ठान को विशेष रूप से संबंधित सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया हो।”

(ख) किसी विदेशी व्यक्ति को, चिकित्सा पर्चे (medical prescription) के आधार पर, केवल अधिकृत लाइसेंस प्राप्त फार्मासिस्टों या जन स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट अन्य अधिकृत खुदरा वितरकों से ही नशीली दवाओं (narcotic drugs) और साइकोट्रोपिक पदार्थों की आपूर्ति या वितरण किया जा सकता है।”

विदेशी यात्रियों द्वारा पालन किए जाने वाले मुख्य प्रोटोकॉल:

- विदेशी नागरिकों को भारत में अपने प्रवास के दौरान, केवल अपने व्यक्तिगत चिकित्सीय उपयोग के लिए, नशीले पदार्थों (Narcotic Drugs) और साइकोट्रोपिक पदार्थों (Psychotropic Substances) की सीमित मात्रा अपने साथ रखने की अनुमति है। यह अनुमति लागू कानूनों और नियमों के अधीन है।
- ऐसी दवाएं साथ रखने वाले विदेशी नागरिकों को केवल उतनी ही मात्रा रखनी चाहिए, जितनी उनके इलाज के निर्धारित कोर्स के लिए आवश्यक हो। यह मात्रा इलाज करने वाले पंजीकृत चिकित्सक द्वारा बताई गई खुराक (dosage) और अवधि (duration) के अनुरूप होनी चाहिए।
- ऐसी दवाएं अपने पास रखने के लिए एक वैध मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन (डॉक्टर की पर्ची) होना आवश्यक है, जिसमें दवा का नाम, खुराक और इलाज की अवधि स्पष्ट रूप से लिखी हो। इसके साथ अन्य संबंधित मेडिकल दस्तावेज भी होने चाहिए। इसलिए, विदेशी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और संबंधित मेडिकल दस्तावेज अपने पास रखें, ताकि भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों (Indian Customs Authorities) द्वारा सत्यापन (verification) के समय उन्हें आसानी से दिखाया जा सके।

नारकोटिक्स कमिश्नर के आदेश से